

संख्या- 11034/4/2023 - राजभाषा (नीति)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, चौथा तल,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 04 मई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के आदेश, कार्यालय ज्ञापन, नियम एवं निर्देश आदि जारी किए जाते हैं। इन आदेशों को संकलित करके अलग-अलग वर्षों में मुद्रित/प्रकाशित कराया जाता रहा है।

2. राजभाषा विभाग को संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों और संगठनों आदि से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें आदेशों, नियमों आदि की प्रतियां आदि उपलब्ध कराने के अनुरोध शामिल होते हैं। कभी-कभी आदेशों के संकलन सुलभ न होने से प्रयोक्ताओं/प्रशासकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

3. अब, राजभाषा विभाग को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा संबंधी आदेशों के सभी उपलब्ध संकलनों को डिजिटाइज करा लिया गया है और इन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बाद में, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी वेबसाइट पर पीडीएफ रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

3. वर्ष 1974 के प्रथम संकलन से लेकर वर्ष 2021 तक जारी आदेशों के संकलन, राजभाषा विभाग की वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर 'राजभाषा संबंधी प्रावधान' शीर्षक के अंतर्गत 'राजभाषा संबंधी आदेशों का संकलन' उप-शीर्ष में देखे जा सकते हैं।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव

सेवा में,

1. संघ सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/स्वायत्त निकाय
2. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, अंत्योदय भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, नई दिल्ली
4. राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के साथ-साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।
5. परामर्शदाता (एनआईसी) को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इन संकलनों को इस कार्यालय ज्ञापन के साथ लिंक करके राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।